न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–16 / 2024 दायर दिनांकः 23.7.2024

GCMS NO:- 2024/165 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

देवकरण आ0 रूघनाथ जाति गुर्जर नि0 करीरी तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

मोरपाल आ. जगन्नाथ जाति गुर्जर नि0 करीरी तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 6)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की ग्राम करीरी की कृषि भूमि संवत् 2076–2079 की जमाबन्दी खाता संख्या नया 32 की कृषि भमि खसरा नम्बर 330, 333, 419, 421, कुल किता 4 कुल रकबा 0.4369 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का उक्त भूमि पर हिस्सा 1/4 निहित है तथा मौके पर बंटवारा कर रखा है जिसमे खसरा नम्बर 330 मे से 1/2 प्रार्थी के हिस्से मे आई हुई है। यह कि प्रार्थी अपने हिस्से मुताबिक भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपने खातेदारी व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 333 पर होकर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 332 बंजड मे होकर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 330 पर पहुंचता है तथा उक्त भूमि का रास्ते के रूप मे उपयोग व उपभोग कर अपने कृषि यंत्रों को व जानवरों को लाने ले जाने के काम मे शांति पूर्व बदस्तुर काम मे लेता चला आ रहा है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है।

यह कि प्रार्थी अपने खातेदारी व हिस्सेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए उक्त सिवायचक भूमि को रास्ते के रूप मे उपयोग व उपभोग पिछले कई वर्षो से करता आ रहा है तथा अन्य सहखातेदारान व अन्य ग्रामवासी भी उक्त भूमि पर स्थित रास्ते पर होकर ही आने जाने के रूप मे काम मे लेते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 पिछले कुछ समय से प्रार्थी से रंजिश रखने लगा तथा प्रार्थी कों नुकसान पहुंचनो के आशय से उक्त भूमि पर स्थित रास्ता नक्शे मे तरमीम नही होने का फायदा उठाकर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 332 के मध्य रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 30.6.2024 को कब्जा कर फसल बो दी व कांटे की बाड लगाकर रास्ता अवरूद्व कर दिया जिसका प्रार्थी ने विरोध किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को जान से खत्म करने की धमकी दी और कहा कि मैने सिवायचक भूमि पर कब्जा कर तुम्हारा वर्षो पुराना रास्ता अवरूद्व कर दिया है, अब तुम से जो हो वह कर लेना। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमे बताया कि प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रास्ता चाहा गया है ना कि सार्वजनिक। तथा जिस खसरा नम्बर पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है उसमे अन्य भी सहखातेदारान है जिसके द्वारा कों आवेदन नही किया गया है और ना ही सहमत है। सहखातेदार असहमत होने के कारण एवं आवेदन पत्र अन्य सहखातेदारान का नही होने के कारण रास्ता नही दिया जा सकता है।

हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 330 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ